मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2019-20

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2019-20

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय		पृष्ठ क्रमांक
01.	प्रभारी मंत्री एवं विभाग में पदस्थ प्रमुख पदाधिकारी/अधिकारी		01
02.	**भाग - एक**	विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय/निगमों की सामान्य जानकारी, विशेषताए, महत्वपूर्ण सांख्यिकी	02-31
03.	**भाग - दो**	बजट विहंगावलोकन	32-33
04.	**भाग - तीन**	राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	34-39
05.	**भाग - चार**	सामान्य प्रशासनिक विषय	40-48
06.	**भाग - पॉच**	अभिनव योजनायें	49
07.	**भाग - छः**	विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन	50-52
08.	**भाग - सात**	सारांश	53-54
09.	**भाग - आठ**	महिलाओं के लिए किए गए कार्य	55-56

विभाग का नाम
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रभारी मंत्री	:	माननीय श्री आरिफ अकील (दिनांक 28.12.2018 से 20.03.2020 तक)
प्रमुख सचिव	:	श्री के. सी. गुप्ता (दिनांक 18.01.2019 से 22..08.2019 तक) श्री अशोक शाह (दिनांक 24.08.2019 से 09.12.2019 तक) श्री मनु श्रीवास्तव (दिनांक 06.12.2019 से 11.05.2020 तक)
उप सचिव	:	श्री पर्वत सिंह (दिनांक 06.05.2016 से निरन्तर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	श्री राजीव जैन (दिनांक 05.04.2016 से निरंतर)

विभागाध्यक्ष

उद्योग आयुक्त	:	श्री के. सी. गुप्ता (दिनांक 18.01.2019 से 22..08.2019 तक) श्री अशोक शाह (दिनांक 24.08.2019 से 09.12.2019 तक) श्री मनु श्रीवास्तव (दिनांक 06.12.2019 से 11.05.2020 तक)

म. प्र. राज्य लघु उद्योग निगम

अध्यक्ष	:	श्री के. सी. गुप्ता (दिनांक 06.03.2019 से 22..08.2019 तक) श्री अशोक शाह (दिनांक 24.08.2019 से 09.12.2019 तक) श्री मनु श्रीवास्तव (दिनांक 06.12.2019 से से 11.05.2020 तक)
प्रबंध संचालक	:	श्री के. सी. गुप्ता (दिनांक 18.01.2019 से 14.08.2019 तक) श्री पंकज जैन (दिनांक 14.08.2019 से 14.03.2020 तक) श्री मनु श्रीवास्तव (दिनांक 16.03.2020 से से 31.03.2020 तक)

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

सचिव	:	श्री पी. सी. वर्मा (दिनांक 01.03.2018 से 03.07.2019 तक)
	:	श्री मजहर हाशमी (दिनांक 04.09.2019 से 03.07.2020 तक)

भाग - एक

विभागीय संरचना

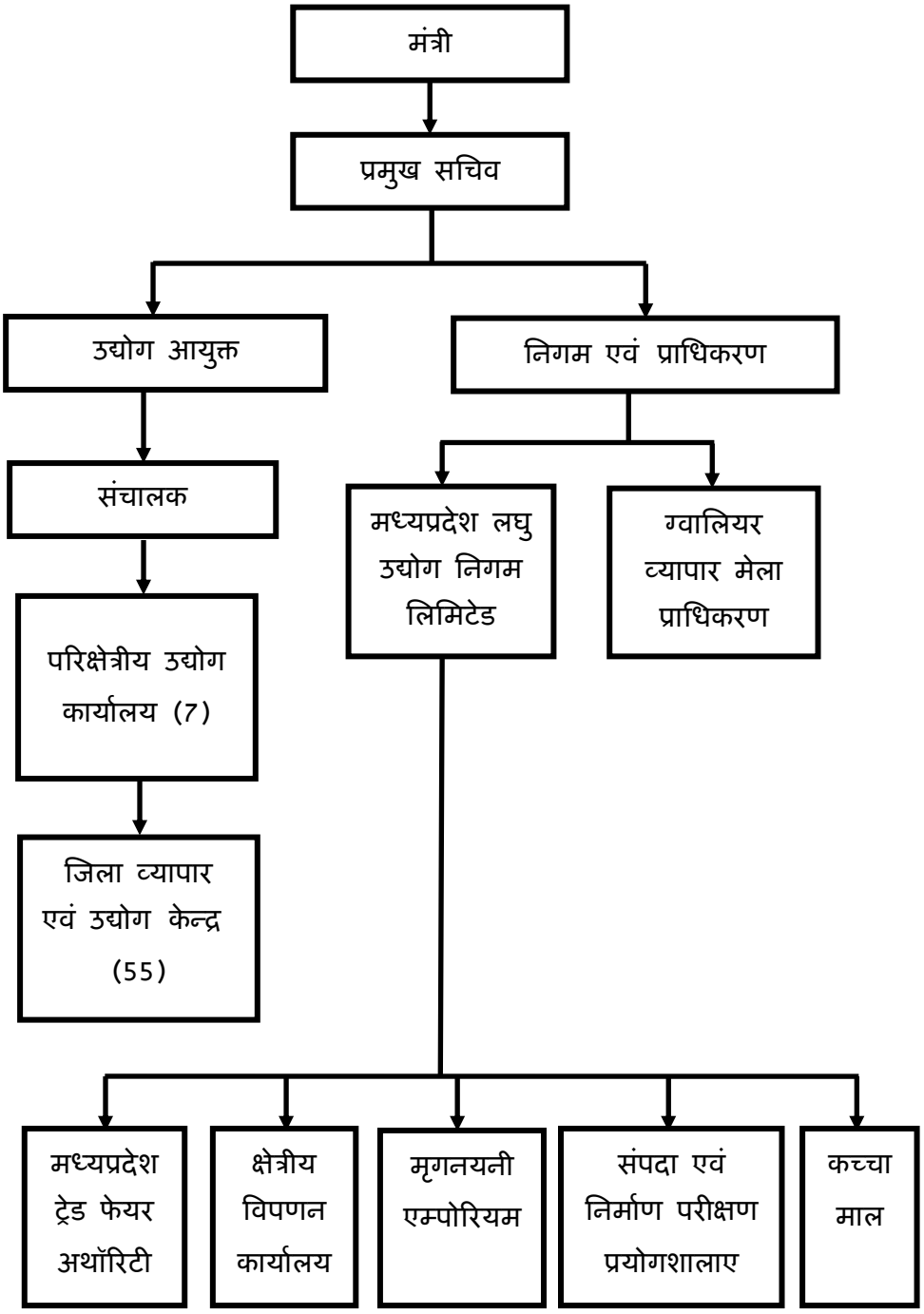

सामान्य जानकारी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग का गठन 5 अप्रैल, 2016 को किया गया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के गठन का लक्ष्य एमएसएमई के लिए ऐसी नीतियां बनाना है, जो कि उन्हें विकसित करने के साथ-साथ सक्षम भी बनाए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की मदद से एमएसएमई मध्य प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने का कार्य करते है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामान्य ग्रामीण लोगों और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करता है। विभाग एमएसएमई को ऋण, प्रौद्योगिकी तथा स्थानीय एवं वैश्विक बाजार तक की पहुँच प्रदान करता है। एमएसएमई को न्यूनतम साझा सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग क्लस्टरो का विकास भी करता है। स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से विभाग युवाओं को प्रोत्साहित करता है, ताकि वह अपने गृह शहर/गांव में अपने उद्यम स्थापित कर सके।

2. विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत एक विभागाध्यक्ष उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश है एवं उद्योग संचालनालय में एक संचालक पदस्थ है।

3. वर्तमान में विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम तथा एक प्राधिकरण निम्नानुसार है :-

   (1) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

   (2) ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

4. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का अधिनियम**

   - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से लघु एवं मध्यम उद्यमों की उन्नति और विकास में मदद करना है।

- उद्योग के साथ-साथ सर्विस सेक्टर को भी मान्यता देते हुए उद्योग के स्थान पर उद्यम की परिभाषा, सूक्ष्म उद्यम हेतु स्पष्ट प्रावधान।
- आर्थिक स्तर पर उपलब्धियों के अनुरूप मध्यम उद्यमों को परिभाषित करना।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा प्रदत्त सेवाओं और माल की खरीद के लिए वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में भुगतान में विलम्ब को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान को सुदृढ़ करना।
- राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बोर्ड को वैधानिक आधार प्रदान करना।
- लघु उद्योगों के लिए जटिल व दोहरी पंजीकरण प्रक्रिया के स्थान पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए वैकल्पिक विवरण पत्रक भरने की व्यवस्था।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का वर्गीकरण - प्लांट एवं मशीनरी/उपकरणों (भूमि एवं भवन को छोड़कर) में पूँजीवेष्ठन के अधिकतम सीमा के आधार पर विनिर्माण (मैन्युफेक्चरिंग) तथा सेवा (सर्विस) उद्यम को वर्गीकृत किया गया है।

5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की गतिविधियाँ

- म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 (1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावशील) का क्रियान्वयन।
- मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016 एवं मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2019 (1 अप्रेल, 2020 से प्रभावशील) का क्रियान्वयन।
- नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर, प्रदेश प्रशासन को "उद्योग मित्र" (Industry Friendly) बनाना।
- औद्योगीकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाना।
- एमएसएमई की स्थापना को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- उद्योगों में रुग्णता दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना।

- विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं को समन्वित कर रोजगार के निरंतर अवसर उपलब्ध कराना।

6. नीति, नियमों, आदेशों व निर्देशों का अंगीकरण

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 05-03/2016/अ-तेहत्तर, दिनांक 16.08.2016 द्वारा विभाग की पृथक नीति, नियम, आदेश व निर्देश जारी होने तक तत्समय वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग वर्तमान में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा जारी नीति, नियम, आदेश व निर्देश समस्त सुसंगत नियमों आदि सहित यथा आवश्यक यथा स्थान के नाम के उल्लेख सहित विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग) द्वारा अंगीकृत किये गये है।

7. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019

7.1 राज्य शासन द्वारा रोजगार सृजन, समावेशी विकास, एक सक्रिय नीति एवं विनियामक वातावरण बनाने, स्वरोजगार के लिए अवसर पैदा करने और इनके माध्यम से राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 जारी की गई है, जो 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावशील है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नीति अंतर्गत सहायता/सुविधा प्रदान करने हेतु "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" लागू की गई है। नीति में प्रावधानित सहायता/सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को 70 प्रतिशत रोजगार म. प्र. के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य है।

7.2 म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 अंतर्गत एमएसएमई हेतु सहायता/अनुदान :

(i) **उद्योग विकास अनुदान** - सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में 4 समान वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाता है।

(ii) **इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास हेतु सहायता** - निजी या अविकसित शासकीय भूमि में स्थापित लघु और मध्यम श्रेणी की नई औद्योगिक इकाई को उसके परिसर तक अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रुपये की सहायता।

(iii) **अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों हेतु सहायता** - औद्योगिक इकाई द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रुपये की सहायता। औद्योगिक इकाईयों के समूह (कम से कम 5) द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 100 लाख रुपये की सहायता।

(iv) **निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर की स्थापना/ विकास हेतु सहायता** - निजी सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के विकासकर्ता को विकास में किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 250 लाख रुपये की सहायता। निजी भूमि पर कार्यरत एमएसएमई के क्लस्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास करने वाली एजेन्सी को किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 50 लाख रुपये की सहायता।

(v) **ऊर्जा लेखा परीक्षा (ऑडिट) हेतु सहायता-** एमएसएमई इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा की लागत का 50%, अधिकतम 50 हजार रुपये और ऑडिट में सुझाये गये उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने के लिए हुये व्यय का 25%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति।

(vi) **गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति** - सूक्ष्म स्तर की इकाईयों द्वारा आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाण पत्र के लिये प्रमाणीकरण हेतु किए गए व्यय का 100%, अधिकतम 5 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति।

जेड (ZED) प्रमाणन, एमएसएमई की ब्रांड पहचान में सुधार लाने और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को क्रमशः 80%, 60% और 50% की दर से सहायता प्रदान करती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शेष राशि की 50% प्रतिपूर्ति (सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के लिए कुल लागत का क्रमशः 10%, 20%, 25%)।

नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान केवल निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50%, अधिकतम 25 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति, यदि ऐसा प्रमाणन राज्य की विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को यूएसए/यूरोपियन यूनियन/OECD के अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु पात्र बनाए।

(vii) **पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति** - एमएसएमई इकाइयों को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान घरेलू पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100%, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किये गये व्यय की 100%, अधिकतम 10 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति।

(viii) पॉवरलूम, फार्मास्युटिकल एवं परिधान क्षेत्र हेतु विशेष पैकेज

8. म. प्र. स्टार्टअप नीति 2019

8.1 राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति का समर्थन करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करके स्टार्टअप और इनक्यूबेटरों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में मध्य प्रदेश की स्थापना करने हेतु 'म. प्र. स्टार्टअप नीति 2019' जारी की गई है।

8.2 'म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2019' अंतर्गत प्रमुख सहायता/अनुदान

I. इन्क्यूबेटरों को प्रोत्साहन

अ) पूंजी अनुदान :

(i) इंक्यूबेटर की स्थापना में किये गये स्थायी पूंजी निवेश (भूमि एवं भवन को छोड़कर) का अधिकतम 50% या 1 करोड़ रूपये (जो भी कम हो) का एक बार पूंजी अनुदान।

(ii) राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों (TBI) की स्थापना के लिए अग्रिम टॉप-अप अनुदान प्रदान करेगी, जो अधिकतम 50 लाख रूपये तक सीमित होगा, परंतु प्राप्त कुल सहायता कुल परियोजना लागत के 50% से अधिक नहीं होगी।

(iii) राज्य सरकार मध्यप्रदेश के जनजातीय जिलों में स्थापित लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स (LBI) की स्थापना के लिए अधिकतम 100 लाख रूपये अग्रिम अनुदान प्रदान करेगी, परंतु प्राप्त कुल सहायता कुल परियोजना लागत के 100% से अधिक नहीं होगी।

ब) संचालन सहायता :

स्वीकृति दिनांक से 3 साल के लिए संचालन में हुआ वास्तविक व्यय या 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष (जो भी कम हो)।

स) स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण

इंक्यूबेटरों को उनका संचालन प्रारंभ होने पर भूमि/कार्यस्थल के क्रय/पट्टे पर एक बार शत-प्रतिशत स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति।

II. स्टार्टअप को प्रोत्साहन

अ) निर्वाह भत्ता : साथी इंक्यूबेटर से जुड़ने के 3 महीने बाद 1 वर्ष की अवधि के लिए या स्टार्ट-अप के पोस्ट-ट्रैक्शन अवधि तक पहुंचने पर (जो भी कम हो), 10,000 रूपये प्रति माह।

ब) **लीज़ किराया अनुदान :** अनुशंसा की दिनांक से 3 वर्ष के लिये 50% या अधिकतम 3 लाख रूपये (जो भी कम हो) प्रति वर्ष की प्रतिपूर्ति।

स) **मार्जिन मनी / ब्याज अनुदान :** परियोजना के पूंजीगत व्यय पर निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा -

1) मार्जिन मनी सहायता: अधिकतम 15%, 12 लाख रूपये तक

2) ब्याज अनुदान : अधिकतम 5% , 7 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रूपयें की सीमा तक

द) **पेटेंट पंजीयन/गुणवत्ता प्रमाणन :** नीति की प्रभावशील अवधि में सफलतापूर्वक पेटेंट/प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए लागत प्रतिपूर्ति

घरेलू पेटेंट : 2 पेटेंट तक अधिकतम 2 लाख रू. प्रति स्टार्टअप

अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट : 1 पेटेंट के लिये अधिकतम 5 लाख रू. प्रति स्टार्टअप

गुणवत्ता प्रमाणीकरण : 2 प्रमाणपत्र तक अधिकतम 3 लाख रू. प्रति स्टार्टअप

इ) **स्टार्टअप विपणन सहायता :** बाजार के लिए एक अभिनव उत्पाद शुरू करने की स्थिति में शर्तो के अधीन अधिकतम 10 लाख रू. की सहायता।

फ) **राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित आयोजनों में भागीदारी :** नीति की अवधि में एक बार स्टार्टअप के अधिकतम 2 सदस्यों के लिये भागीदारी शुल्क और आवास के लिए 50% तक या 1 लाख रू. की प्रतिपूर्ति (जो भी कम हो)

III. स्टार्ट-अप्स के वित्त पोषण के लिए प्रावधान

अ) 'म. प्र. स्टार्टअप ऑफ द ईयर चैलेंज', जिसमें 20 विचारों को सम्मानित किया जाएगा, की मेजबानी के माध्यम से, नवाचारी स्टार्टअप्स को पुरूस्कार राशि के रूप में प्री-सीड सहायता।

ब) नीति की अवधि में स्टार्टअप को सीड सहायता के लिए रिवॉल्विंग फंड बनाने हेतु राज्य सरकार 10 करोड़ रू. उपलब्ध कराएगी।

स) वेंचर वित्त पोषण : राज्य एक वैकल्पिक फण्ड में 50 करोड़ रू. का निवेश करेगा

9. लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड

9.1 प्रदेश के एमएसएमई के संवर्धन हेतु परामर्श एवं सुझाव, उद्योग संवर्धन नीति पर सुझाव तथा उद्योगों में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था। शासन आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2018 से बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग बोर्ड के अध्यक्ष है और एमएसएमई से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों को बोर्ड में सदस्य बनाया गया है।

9.2 राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया है।

10. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में भुगतान में विलम्ब को रोकने के लिये "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" की धारा 30 एवं 21 के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन करने का प्रावधान है। राज्य शासन द्वारा "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के अध्याधीन, मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम 2006 दिनाँक 10 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किये गये थे तथा फैसिलिटेशन काउन्सिल के गठन की अधिसूचना दिनाँक 10 जनवरी, 2007 को जारी कर दी गई थी। फेसिलिटेशन काउंसिल ने जुलाई 2007 से बैठकें प्रारंभ की है। राज्य शासन के आदेश दिनांक 24.11.2017 से मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल के कार्यकरण को सुविधायुक्त बनाने के लिए नवीन

मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम 2017 जारी किये गये है।

11. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम

मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगिक अविकसित भूमि, औद्योगिक क्षेत्र की विकसित एवं विकसित की जाने वाली भूमि एवं औद्योगिक भवनों के प्रबंधन हेतु "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन लागू है।

12. म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015

शासकीय क्रय में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन, शासकीय विभाग एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम - 2015 दिनांक 28 जुलाई, 2015 से लागू किया गया है।

13. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत विभागीय सेवाएं

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत विभाग की छः सेवाए यथा एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, प्रवेश कर मुक्ति, वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना व उसे सक्षम समिति से निर्णीत कराना, अधिसूचित की गई है। साथ सेवाओं को प्रदान करने हेतु प्रक्रिया भी जारी की गई है।

14. सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सीपेट), भोपाल

सीपेट, भोपाल को भारत सरकार से उनकी परियोजना हेतु अधोसंरचना, मशीनरी एवं उपकरण हेतु सहायता प्राप्त हो रही है। यह सहायता, केन्द्र सरकार अंश 50 प्रतिशत, राज्य सरकार अंश 50 प्रतिशत के आधार पर

प्राप्त होती है। नये शैक्षणिक भवन एवं बालक छात्रावास के निर्माण हेतु वर्ष 2019-20 में सहायता प्रदान की गई है।

15. सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सीपेट), वोकेशनल ट्रेनिंग सेण्टर, ग्वालियर

भारत सरकार की परियोजना अंतर्गत रू. 40.10 करोड़ की लागत से ग्वालियर में वोकेशन ट्रेनिंग सेण्टर स्थापित किया गया है, जिसमें नवंबर, 2016 से अस्थायी भवन में प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। राज्य शासन द्वारा इस सेण्टर हेतु 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। परियोजना अंतर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार अंश 50-50 प्रतिशत है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेण्टर के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2019-20 में सहायता प्रदान की गई है।

16. स्वरोजगार योजनाएं

राज्य शासन द्वारा स्वरोजगार योजनाओं यथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान किया जा रहा है। विभाग उक्त योजनाओं के संचालन हेतु नोडल विभाग है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 'आयकरदाता न हों' संबधित शर्त को विलोपित किया गया है।

17. पॉवरलूम बुनकरों को विद्युत अनुदान

विभाग द्वारा 150 अश्वशक्ति तक के पॉवरलूम उपभोक्ताओं को रियायत रियायती दरों पर विद्युत का प्रदाय करवाई जाती है। ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश के 20 अश्वशक्ति तक के पॉवरलूम उपभोक्ताओं को 1.50 रूपये प्रति युनिट की दर से और 20 अश्वशक्ति से अधिक परंतु 150 अश्वशक्ति तक के पॉवरलूम उपभोक्ताओं को 1.25 रूपये प्रति युनिट की दर से छूट प्रदान कर रियायती दर पर विद्युत प्रदाय की जाती है एवं विभाग द्वारा कुल छूट की राशि की प्रतिपूर्ति ऊर्जा विभाग को की जाती है।

18. प्रदेश में एमएसएमई हेतु पृथक विभाग का गठन होने से प्रदेश के औद्योगीकरण में गति तथा रोजगार सृजन बढ़ा है, जिससे प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से सकारात्मक बदलाव आया है। प्रदेश में उद्योग

लगाने हेतु प्रदेश के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्योगपतियों के साथ विचार विमर्श कर उन्हें प्रदेश में उद्योग नीतियों व औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी प्रदान कर प्रदेश में उद्योग स्थापनार्थ आमंत्रित किया गया है।

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

क. दायित्व

- मध्यप्रदेश के समग्र आर्थिक विकास में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से योगदान देना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एवं सहायक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना।
- प्रदेश में इंक्यूबेटरों व स्टार्टअप का पोषण एवं बढ़ावा देना।
- युवा उद्यमिओं को उद्यम की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध करवाना।
- विभिन्न स्वरोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन।
- निर्यात वृद्धि के लिए उत्प्रेरक एवं सहायक की भूमिका निभाना।
- प्रदेश में स्थित पावरलूम उद्योगों का विकास एवं पावरलूम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना।

ख. सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश में प्रभावी व गतिशील औद्योगीकरण की दिशा में उद्योग संचालनालय द्वारा उद्योगों की स्थापना व उसके संचालन को सरल व सहज बनाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही विनिर्माण एमएसएमई की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु जिला कार्यालयों के माध्यम से एमएसएमई विकास नीति 2019 अंतर्गत अनुदान प्रदान करने का कार्य भी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार संचालनालय द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही स्टार्टअप हेतु बेहतर पारिस्थिकी तंत्र का निर्माण भी

संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत सेवाओं को सम्मिलित कर कार्य में पारदर्शिता लाई गई है।

ग. एमएसएमई का विकास

- **<u>सम्मेलन/वर्कशॉप का आयोजन</u>**

  एमएसएमई के विकास हेतु प्रदेश के जिला मुख्यालयों में जिलों की एमएसएमई इकाईयों के स्वामियों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों और स्वरोजगार योजनांतर्गत लाभांवित हितग्राहियों की सहभागिता से सममेलन/वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें एमएसएमई के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई और उद्यम को आगे ले जाने के संबंध में एवं एमएसएमई से जुड़े विषयों पर जानकारी प्रदान की गई।

- **<u>क्लस्टर</u>** - भारत सरकार की क्लस्टर योजना के अंतर्गत प्रदेश में सामान्य सुविधा केन्द्र एवं अधोसंरचना के प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :-

  <u>सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) के प्रस्ताव</u>

  जबलपुर मिष्ठान एवं नमकीन क्लस्टर, जबलपुर हेतु अंतिम अनुमोदन प्राप्त

  <u>अधोसंरचना (ID) के प्रस्ताव</u>

  निम्नानुसार चार प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन हेतु भारत सरकार स्तर पर विचारधीन है :-

  1. एग्रोबेस्ड फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर - सनावद, खरगौन
  2. लाख क्लस्टर - आकोड़ी, बालाघाट
  3. फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर - कचनारिया, राजगढ़
  4. इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल क्लस्टर - चोर डोंगरी, बैतुल

  निम्नानुसार अधोसंरचना उन्नयन के 9 प्रस्ताव एवं नए अधोसंरचना विकास के 2 प्रस्ताव भारत शासन की ओर प्रेषित किये गये है :-

1. पॉवरलूम क्लस्टर, जिला बुरहानपुर के लिये नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना
2. ग्राम चांदपुरा में विभाग के आधिपत्य की 30 एकड़ भूमि पर भोपाल शहर की लगभग 125 आरा मिलों को स्थानांतरित कर क्लस्टर के लिये औद्योगिक क्षेत्र का विकास।
3. औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा, जिला भोपाल का अधोसंरचना उन्नयन
4. औद्योगिक क्षेत्र, चन्द्रपुरा, जिला छतरपुर का अधोसंरचना उन्नयन
5. औद्योगिक क्षेत्र, कुसमोदा, जिला गुना का अधोसंरचना उन्नयन
6. औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम, जिला रतलाम का अधोसंरचना उन्नयन
7. औद्योगिक क्षेत्र, गंधारी, जिला दतिया का अधोसंरचना उन्नयन
8. औद्योगिक क्षेत्र, अशोकनगर, जिला अशोकनगर का अधोसंरचना उन्नयन
9. औद्योगिक क्षेत्र, मटेहना, जिला सतना का अधोसंरचना उन्नयन
10. औद्योगिक क्षेत्र, मक्सी रोड, जिला उज्जैन का अधोसंरचना उन्नयन
11. औद्योगिक क्षेत्र क्र. 1, देवास, जिला देवास का अधोसंरचना उन्नयन

- भारत सरकार की एस्पायर योजना अंतर्गत डिंडोरी जिलें में परंपरागत आर्गेनिक कृषि उत्पाद 'कोदो-कुटकी' की फूड प्रोसेसिंग हेतु इंक्यूबेशन सेंटर का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

- <u>टेक्नालॉजी सेण्टर एवं एक्सटेंशन सेण्टर</u>
  जबलपुर में 01 टेक्नालॉजी सेण्टर एवं 8 जिलों यथा छिंदवाड़ा, ग्वालियर, खरगौन, रतलाम, सागर, सतना, सिंगरौली एवं शहडोल में एक्सटेंशन सेण्टर हेतु स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

घ. लैण्ड बैंक एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

- प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त शासकीय भूमियों का एक लैण्ड बैक बनाया गया है, जिससे उद्यमिओं को आकर्षित कर उद्यम स्थापित किये जा सकें। मध्यप्रदेश शासन, प्रदेश में एमएसएमई की स्थापना के लिये

दृढ़ संकल्पित है। वर्तमान में प्रदेश में 186 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। इनके साथ-साथ अनेक अविकसित भूमियों को चिन्हित किया जाकर उन्हें विकसित किया जा रहा है।

- वर्ष 2019-20 में विभागीय औद्योगिक अधोसंरचना विकास हेतु 2772.05 लाख रूपये व्यय किये गये है।

च. एमएसएमई बिजनेस फेसिलिटेशन सेल

एमएसएमई इकाईयों को शासन की नीतियों पर मार्गदर्शन, सुविधा एक स्थान पर प्रदान करने हेतु एमएसएमई बिजनेस फेसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है। उद्योग संचालनालय, म.प्र. में एमएसएमई बिजनेस फेसिलिटेशन सेल (हब) 1 मार्च, 2017 से प्रारंभ हो गया है। इस सेल में 20 कंसलटेंट कार्य कर रहे है तथा उद्योग संचालनालय, म. प्र. में इन कंसलटेंट के मार्गदर्शन हेतु विषय विशेषज्ञों का 'हब' बनाया गया है। इन कंसलटेंट को 20 जिलों में पदस्थ किया गया है और आस-पास के जिलों का दायित्व इन्हें दिया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि एक माह में सभी जिलों में इनकी पूर्व निर्धारित बैंठके एमएसएमई के साथ आयोजित हो। इस प्रकार सभी 51 जिलें इन कंसलटेंट को आवंटित कर सभी जिलों में 'एमएसएमई बिजनेस फेसिलिटेशन सेण्टर' स्थापित कर इनके जरिए फेसिलिटेशन का कार्य किया जा रहा है।

छ. स्वरोजगार योजनाएं

- **<u>मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना</u>** :- प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 10 लाख से अधिकतम रुपये दो करोड़ तक है। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है। योजना में बीपीएल आवेदक एवं महिलाओं को अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है।

- **<u>मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना</u>** :- प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 50 हजार से अधिकतम रुपये 10 लाख तक है। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए और आवेदक स्वयं आयकरदाता नहीं होना चाहिए। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।
- **<u>मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना</u>** :- प्रदेश के किसानों के पुत्र/पुत्रियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना दिनांक 16.11.2017 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 50 हजार से अधिकतम रुपये 2 करोड़ तक है। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।
- **<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम</u>** :- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को समन्वित कर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राष्ट्र स्तर पर योजना की नोडल एजेन्सी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है। प्रदेश स्तर पर योजना का संचालन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड व जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग के लिये अधिकतम परियोजना लागत रू. 25 लाख तथा सेवा/व्यवसाय के लिये अधिकतम परियोजना लागत रू. 10 लाख हेतु बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। उद्योग क्षेत्र की परियोजना में परियोजना लागत रू. 10 लाख से अधिक होने पर और सेवा क्षेत्र की परियोजना में परियोजना लागत रू. 5 लाख से अधिक होने की

स्थिति में, आवेदक का न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को शहरी व ग्रामीण के आधार पर मार्जिनमनी सहायता का लाभ दिया जाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम/मुद्रा योजना अंतर्गत लाभांवित विद्यमान इकाई के विस्तार के लिये भी योजनांतर्गत उद्योग के लिये रू. 1 करोड़ तक की परियोजना लागत हेतु और सेवा/व्यवसाय के लिये रू. 25 लाख तक की परियोजना लागत हेतु बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। साथ ही परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

ज. सूचना प्रौद्योगिकी कार्य

प्रदेश के उद्यमियों को ऑनलाईन सेवाए व जानकारी प्रदान करने हेतु राशि रू. 626.27 लाख की परियोजना लागत से ऑफिस ऑटोमेशन का कार्य वर्ष 2015-16 में प्रारंभ किया गया है, जो वर्ष 2020-21 तक पूर्ण होगा। प्रथम तीन वर्षो में साफ्टवेयर का विकास एवं प्रशिक्षण का कार्य किया गया है। शेष तीन वर्षो में विकसित साफ्टवेयर के रखरखाव का कार्य मैप-आईटी द्वारा किया जावेगा। उक्त परियोजना के तहत विभागीय वेबसाईट mpmsme.gov.in (हिन्दी URL : एमपीएमएसएमई.सरकार.भारत) विकसित कर प्रारंभ की गई है। वेबसाइट जी.आई.जी.डब्ल्यू. मापदंडो के अनुरूप विकसित की गई है। विभागीय सुविधाएँ चरणबद्ध रूप से उद्यमियों को ऑनलाईन प्रदान की जा रही है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ गई है। उक्त के साथ-साथ एमआईएस प्रणाली भी विकसित की गई है। स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त कर बैंको को ऑनलाईन प्रेषित किये जा रहे है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन तथा शुल्क का भुगतान शत-प्रतिशत ऑनलाईन किया गया है। साथ ही एमएसएमई अवार्ड हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन एवं एमएसईएफसी के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों का ऑनलाईन मैनेजमेंट प्रारंभ किया गया है। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के एनआईसी अंतर्गत ई-मेल पते बनाए गए है और उन्हें विकसित साफ्टवेयर के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

झ. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप

- प्रदेश में 32 पार्टनर इंक्यूबेशन सेण्टर कार्यरत है, जिसकी जानकारी विभागीय वेबसाईट पर स्टार्टअप की सुविधा हेतु उपलब्ध कराई गयी है। साथ ही प्रदेश में 31 मार्च, 2020 तक लगभग 890 स्टार्टअप पंजीकृत किये गये है।
- संपूर्ण वर्ष में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये प्रदेशभर में लगातार कार्यशालाएं एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किये गये है।

ट. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के भवनों का निर्माण

प्रदेश के झाबुआ एवं बालाघाट जिलों में स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों विदिशा, श्योपुर, सीहोर, उमरिया एवं सिंगरौली के भवनों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही डिण्डोरी में स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

ठ. उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण सांख्यिकी

- **<u>उद्यमों की स्थापना</u> :-**

  - वर्ष 2019-20 में कुल 2,88,479 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा उद्योग आधार मेमोरेण्डम फाईल किये गये, जिसके अनुसार प्रदेश में रू. 19242.09 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है तथा प्रत्यक्ष रूप से 993876 व्यक्तियों को रोजगार मिला हैं।
  - प्रदेश में वर्ष 2014-15 सें 2018-19 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा वर्षवार फाईल किये गये मेमोरेण्डम और उसके अनुसार प्रदेश में पूँजी निवेश एवं रोजगार की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	संख्या	पूँजी निवेश (रू. करोड़ में)	रोजगार
1	2014-15	19835	750.04	51571

क्र.	वर्ष	संख्या	पूँजी निवेश (रू. करोड़ में)	रोजगार
2	2015-16	48179	5171.75	194761
3	2016-17	87071	9547.32	363812
4	2017-18	206142	14401.67	596990
5	2018-19	297595	19284.97	1030084

- **<u>स्वरोजगार योजनाएँ</u> :-**

  - ❖ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में भौतिक लक्ष्य 1225 के विरूद्ध 1236 प्रकरण स्वीकृत हुए एवं 1084 प्रकरणों में सहायता राशि रू. 153.73 करोड़ वितरित की गई।
  - ❖ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में भौतिक लक्ष्य 14000 के विरूद्ध 18593 प्रकरण स्वीकृत हुए एवं 16657 प्रकरणों में सहायता राशि रू. 103.03 करोड़ वितरित की गई।
  - ❖ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2019-20 में वित्तीय लक्ष्य रू. 64.27 करोड़ के विरूद्ध सहायता राशि रू. 49.34 करोड़ वितरित की गई।
  - ❖ मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 486 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया।

- **<u>शासकीय भूमि का हस्तातंरण</u> :-**

  प्रदेश में एमएसएमई हेतु नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना और निवेशकों की आवश्यकता के आधार पर वर्ष 2019-20 में निम्नानुसार शासकीय भूमि राजस्व विभाग से हस्तांतरित कराई गई:-

क्र.	जिला	ग्राम	भूमि (रकबा हे. में)	हस्तांतरण आदेश दिनांक
1	सतना	नया गांव	19.36	17.06.2019

- **<u>सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल</u> :-**

वर्ष 2019-20 में काउन्सिल की 07 बैठकें आयोजित की गई है। विगत वर्ष के लंबित 186 प्रकरण एवं 2019-20 में प्राप्त 147 प्रकरण, कुल 333 प्रकरण काउन्सिल के समक्ष विचारार्थ रखें गये। इनमें से 06 प्रकरण खारिज हुये, 07 प्रकरणों में सुलह कराई गई एवं 12 प्रकरणों में कुल राशि लगभग रू. 3.95 करोड़ के समझौता आदेश/अवार्ड पारित किये गये हैं। शेष 308 प्रकरण 31 मार्च, 2020 की स्थिति में काउन्सिल के समक्ष विचाराधीन थे।

<u>मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड</u>

(अ) निगम की संरचना :-

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शासकीय कम्पनी के रूप में दिनांक 28 दिसम्बर, 1961 को किया गया था। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूंजी रू. 500.00 लाख है एवं इसके विरूद्ध प्रदत्त अंशपूंजी रू. 282.75 लाख है। प्रदत्त अंशपूंजी में रू. 267.75 लाख राज्य शासन के तथा रू. 15.00 लाख विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत शासन द्वारा निगम में वेष्ठित हैं। शासन आदेश के अनुरूप निगम द्वारा रू. 282.75 लाख में से रू. 72.45 लाख का निवेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, जो कि निगम की सहायक कम्पनी है, की अंशपूंजी में किया गया है।

(ब) निगम के मुख्य उद्देश्य :-

(i) शासकीय विभागों हेतु उनकी आवश्यकताओं के उत्पादों का उपार्जन:- म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना तथा शासकीय/अर्धशासकीय विभागों/उपक्रमों को उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्रदाय करवाना।

(ii) प्रदेश के हस्तशिल्पियों, हाथकरघा एवं लघु उद्योग इकाईयों को मृगनयनी म. प्र. एम्पोरियमों के माध्यम से विपणन सुविधा प्रदान करना।

(iii) कच्चे माल की आपूर्ति।

(iv) उद्योगों को परीक्षण सुविधाऐं उपलब्ध कराना।

(v) सूक्ष्म, लघु उद्यमों को कोयले का वितरण।

(vi) निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं इंटिरियर कार्य।

(स) निगम की गतिविधियाँ :-

निगम द्वारा उपरोक्त उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं:-

(1) <u>विपणन गतिविधि</u> :-

म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 में शासन के आदेश क्रमांक एफ 6-9/2012/अ-तेहत्तर, दिनांक 05-09-2018 द्वारा संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि परिशिष्ट "अ" में वर्णित वस्तुओं की दरें म.प्र. लघु उद्योग निगम में उपलब्ध होने की दशा में क्रयकर्ता द्वारा निगम के माध्यम से सीधे क्रय किया जा सकेगा। म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 8 में भी यह प्रावधान है कि अनारक्षित सामग्री की दरें म.प्र. लघु उद्योग निगम में उपलब्ध होने की दशा में क्रयकर्ता द्वारा इस संस्था से भी सामग्री क्रय की जा सकेगी। निगम के माध्यम से वर्तमान में शासकीय विभागों को उनकी मांग के अनुसार सामग्री का प्रदाय किया जा रहा है।

म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा विभिन्न क्रयकर्ता विभागों जैसे स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग इत्यादि की मांग के अनुसार GeM पोर्टल पर टेण्डर आमंत्रित कर सामग्री प्रदाय करवाने की व्यवस्था की गई है। निगम द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की विशिष्ट मांग के दृष्टिगत साईकिलों के दर निर्धारण की कार्यवाही GeM पोर्टल पर सम्पादित करने के पश्चात 5,90,000 नग साईकिलों का प्रदाय किया गया।

लघु उद्योग निगम द्वारा नवीन निविदाएं मध्यप्रदेश शासन की वेबसाईट mptenders.gov.in पर जारी करने का निर्णय लिया गया है। लघु उद्योग निगम द्वारा नवीन SOP जारी कर निविदा आमंत्रित करने एवं दर निर्धारण की कार्यवाही में अनेक संशोधन एवं सुधार किये गये हैं। निगम द्वारा नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं इंटीरियर विभाग का गठन किया गया है, जिसके तहत विभागों/उपक्रमों की मांग के अनुसार आन्तरिक साज-सज्जा का कार्य किया जावेगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह मार्च, 2020 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 857.00 करोड़ के समक्ष रू. 459.27 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

(2) <u>एम्पोरियम गतिविधि</u> :-

निगम द्वारा इस गतिविधि के अंतर्गत प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर मृगनयनी एम्पोरियमो का संचालन करके प्रदेश के बुनकरों, हस्तशिल्पियों एवं लघु उद्योगों के विभिन्न उत्पादों का विक्रय किया जाता है। वर्तमान में निगम द्वारा प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा में तथा प्रदेश के बाहर नई दिल्ली एवं कोलकाता में एम्पोरियमों का संचालन किया जा रहा है। निगम के एम्पोरियमों द्वारा समय-समय पर प्रदर्शनी/सेल आयोजित करके बुनकरों एवं शिल्पियों के उत्पादों का विक्रय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही निगम द्वारा देश एवं विदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित ट्रेड फेयर एवं प्रदर्शनियों में भाग भी लिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह मार्च, 2020 तक इस गतिविधि के अंतर्गत लक्ष्य रू. 35.89 करोड़ के समक्ष रू. 30.57 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

<u>मेला प्रदर्शनी का आयोजन</u> :-

क. निगम द्वारा एम्पोरियमों की इस श्रृंखला में हस्तशिल्पियों एवं हाथकरघा के उत्पादों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाकर तथा राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी एवं शिल्प बाजारों का आयोजन कर प्रदेश की कला को

प्रदर्शित किया जाता है। इससे प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प की पहचान एवं इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों को एक समग्र बाजार विपणन हेतु प्राप्त होता है।

ख. निगम द्वारा प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्यप्रदेश के मंडप का निर्माण कर संचालन किया जाता है। इस वर्ष नई दिल्ली में दिनांक 14-27 नवम्बर, 2019 की अवधि में प्रगति मैदान में "Ease of Doing Business" की थीम के आधार पर भाग लिया गया।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 हेतु राज्य शासन से राशि रू. 70.00 लाख बजट आवंटन प्राप्त हुआ। इस आयोजन में राशि रू. 53.17 लाख का व्यय हुआ है।

ग. मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर अथॉरिटी, भोपाल

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी का गठन 12 अगस्त, 2005 को राज्य शासन द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलो में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु किया गया है। प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पादो के लिए निर्यात के अवसर सुलभ कराये जाने की दृष्टि से म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी द्वारा प्रदेश के उद्यमियों को केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलो में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता सुलभ कराने हेतु मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित की जा रही है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम के अंतर्गत म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी के कार्यालय की स्थापना की गई है। इस कार्यालय द्वारा प्रदेश की निर्यात करने वाली इकाईयों को निर्यात के नए अवसर सुलभ कराए जाने की

दृष्टि से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अथॉरिटी द्वारा मेलो में भाग लेने वाले दल के सदस्यो (प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यम तथा स्वरोजगार योजनाओं के तहत लाभान्वित इकाईयां, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों की इकाईयां, बुनकर, हस्तशिल्पी, कारीगर आदि) का चयन कर उन्हें मेलों में भाग लेने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है, ताकि प्रदेश के उद्यमी राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादो के निर्यात के अवसर तलाश कर सकें।

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी के सदस्य निम्नानुसार है :-

1.	माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	- अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, म.प्र. लघु उद्योग निगम	- उपाध्यक्ष
3.	उद्योग आयुक्त, म.प्र. भोपाल	- सदस्य
4.	प्रबंध संचालक, म.प्र. इण्डस्ट्रीयल डेवलमेंट कॉर्पोरेशन	- सदस्य
5.	प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम	- सदस्य सचिव

निगम द्वारा म.प्र. ट्रेड फेयर अथारिटी के माध्यम से वर्ष 2018-19 तक 12 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी की गई है। वर्ष 2019-20 में दिनांक 23-25 जून, 2019 की समयावधि में Africa Big Sevan (AB-7) SAITEX जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में सफलतापूर्वक भाग लिया गया। इस फेयर में प्रदेश की 10 एम.एस.एम.ई. इकाईयों द्वारा भाग लिया गया, जिनमें 03 अनुसूचित जाति वर्ग, 01 महिला उद्यमी तथा 06 सामान्य वर्ग की इकाईयां थी।

(3) <u>कच्चा माल गतिविधि</u> :-

निगम द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाइयों को कच्चे माल का प्रदाय किया जा रहा है। इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में लौह

इस्पात का एलोकेशन तथा उस पर मिलने वाला रिबेट देना बंद कर दिया गया है। साथ ही भारत सरकार की उदारीकरण की नीति, कच्चे माल पर से मूल्य नियंत्रण हटाए जाने, मुख्य उत्पादनकर्ताओं द्वारा इकाईयों को सीधे माल प्रदाय किये जाने, निजी क्षेत्र के उत्पाद बाजार में सस्ते दामों एवं उधारी पर उपलब्ध होने तथा निगम की प्रतिस्पर्धा में निजी वितरक नियुक्त होने आदि कई कारणों से कच्चा माल वितरण के व्यवसाय को जारी रखा जाना ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो गया है। बावजूद इस गतिविधि के अन्तर्गत निगम द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को लौह, इस्पात आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान में कच्चा माल भण्डार भोपाल से लौह एवं इस्पात का विक्रय प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को किया जा रहा है। जबलपुर में डिपो को पुनः खोला जाना संचालक मण्डल के समक्ष विचाराधीन है। इस गतिविधि के अन्तर्गत मार्च, 2020 तक रु. 35.00 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रु. 28.74 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

(4) <u>टेस्टिंग लेब</u> :-

निगम द्वारा इन्दौर एवं जबलपुर में परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही है। निगम की इन्दौर परीक्षण प्रयोगशाला को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे एन.ए.बी.एल. (नेशनल एक्रेडेटशन बोर्ड आफ लेबोरटरीज), बी.आई.एस (भारतीय मानक ब्यूरो), एफ.डी.ए. एगमार्क आदि से मान्यता प्राप्त है। परीक्षण प्रयोगशाला जबलपुर को भी आई.एस.ओ. 9001 एवं एन.ए.बी.एल. की मान्यता प्राप्त है। ये प्रयोगशालाएं रॉ मटेरियल, निर्माण सामग्रियों, खाद्य तत्वों तथा औषधियों इत्यादि की जांच के लिए आवश्यक अनेक सुविधाओं से सम्पन्न है। ये प्रयोगशालाएं सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों के लिए प्रमाणीकरण एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। वर्ष 2007-08 में भारत सरकार की 50 प्रतिशत "ग्रान्ट-इन-एड-योजना" अन्तर्गत दोनों प्रयोगशालाओं में लगभग रू. 65.00 लाख की लागत से अत्याधुनिक परीक्षण उपकरणों का क्रय किया जाकर सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में

माह मार्च, 2020 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 1.54 करोड़ के समक्ष रू. 0.76 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है।

(5) <u>बिजनेस डेव्हलपमेंट सेल</u> :-

मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम केन्द्र शासन की कोयला वितरण नीति (NCDP-2007) के तारतम्य में, प्रदेश के MSME उद्यमियों को कोयला उपलब्ध कराने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामित एजेन्सी (SNA) है। निगम के "बिजनेस डेव्हलपमेंट सेल" (BDC) द्वारा यह गतिविधि संचालित की जाती है।

वर्ष 2005-06 से बी.डी.सी. द्वारा कोयला कम्पनीज से कोयला आवंटन प्राप्त कर प्रदेश की कोयला प्राप्त करने की इच्छुक MSME इकाईयों के मध्य इसके वितरण का कार्य शासन द्वारा निर्धारित नीति अनुसार सफलता पूर्वक किया जाता रहा है। म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 13-3/05/अ-ग्यारह दिनांक 4/7/08 के द्वारा प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्योगों जिनकी वार्षिक कोयले की खपत 4200 मे.टन तक हो, को म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से कोयले का वितरण करने हेतु प्रक्रिया एवं नीति लागू की गई थी, जिसका पालन करते हुए निगम के बी.डी.सी. विभाग द्वारा प्रदेश की इकाईयों को कोल का वितरण किया जाता रहा है।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SNA (म.प्र.ल.उ.नि.) के माध्यम से कोयला वितरण को प्रोत्साहित करने और उद्योगों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु NCDP - 2007 में संशोधन करते हुए उपरोक्त वार्षिक कोयले की खपत 4200 मे.टन की सीमा को बढ़ा कर अब 10,000 मे.टन कर दिया गया है। MSME इकाईयों के अतिरिक्त अन्य बड़े उद्योगों जिनकी वार्षिक कोयले की खपत 10,000 मे.टन तक है, को SNA के माध्यम से कोयला प्राप्त करने की पात्रता प्रदान की है।

कोल इंडिया लिमिटेड ने उनके पत्र क्रमांक सी.आई.एल./एम.एण्ड एस./47252/202 दिनांक 11-04-2019 द्वारा म.प्र. लघु उद्योग निगम को राज्य की नामांकित एजेन्सी होने से वर्ष 2019-20 हेतु कोल आवंटन किया है। जिला स्तरीय समिति से प्राप्त कोल को वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह मार्च, 2020 तक लक्ष्य रू. 20.00 करोड़ के समक्ष रू. 21.90 करोड़ का व्यवसाय किया गया है।

(6) <u>सम्पदा एवं निर्माण गतिविधि</u> :-

निगम की स्थापना के समय शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से निगम को प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण तथा रख-रखाव का कार्य सौपा गया था, जिसका निगम द्वारा पूर्ण निष्ठा से निर्वहन किया गया। कालांतर में सरकार द्वारा यह कार्य अन्य सरकारी संस्थाओं को सौंपा गया। निगम द्वारा राज्य शासन के एमएसएमई विभाग के निर्माण कार्य के साथ अन्य विभागों जिसमें आदिवासी विकास विभाग/अनुसूचित जाति विकास विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ग्रामीण विकास पंचायत विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/खेल एवं युवा कल्याण विभाग/पशुपालन विभाग एवं केन्द्र शासन की केन्द्रीय नवोदय विद्यालय समिति के कार्य किये जाते रहे है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर इंटिरियर विभाग के गठन के पश्चात विभिन्न विभागों के आंतरिक साज-सज्जा एवं फर्नीशिंग कार्य का निष्पादन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मार्च, 2020 तक इस गतिविधि के अंतर्गत रू. 90.00 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 50.64 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में एमएसएमई विभाग के लगभग राशि रू. 69.61 करोड़ के कार्य, अनुसूचित जाति विभाग के लगभग राशि रू. 7.12 करोड़ के कार्य एवं मेप-आईटी के लगभग राशि रू. 2.03 करोड़ के आंतरिक साज-सज्जा के कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में एमएसएमई विभाग के लगभग राशि रू. 60.52 करोड़ के कार्य प्राप्त होना

संभावित है एवं क्लस्टर के लगभग राशि रू. 60.40 करोड़ के कार्य प्राप्त होना संभावित है।

(7) <u>वित्तीय परफारमेन्स</u> :-

वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यवसाय, आय-व्यय तथा कार्यपरिणाम (मासिक प्रगति प्रतिवेदन पर आधारित) और विगत वर्षो के कार्यपरिणाम निम्नानुसार हैः-

(राशि रू. लाखों में)

क्र.	वर्ष	कुल व्यवसाय	+लाभ/-हानि
1	2015-16	93832.38	(+) 2030.54 (कर पश्चात्) (अंकेक्षित)
2	2016-17	94232.57	(+) 1312.12 (कर पश्चात्) (अंकेक्षित)
3	2017-18	104955.59	(+) 1292.60 (कर पूर्व) (अंकेक्षित)
4	2018-19	95164.57	(+) 1107.94 (कर पूर्व) (अनअंकेक्षित)
5	2019-20	59189.89	(+) 805.41 (कर पूर्व) (अनअंकेक्षित)

निगम द्वारा वर्ष 2019-20 में माह मार्च, 2020 तक रू. 1039.44 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 591.89 करोड़ का व्यवसाय एवं लगभग रू. 8.05 करोड़ का अनुमानित कर पूर्व लाभ (मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर) अर्जित किया गया है।

निगम के वर्ष 2016-17 के लेखे एवं वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के बजट सत्र 2020 में पटल पर रखे जायेंगे। वर्ष 2017-18 के लेखे पूर्ण हो चुके है तथा इन्हें निगम की आगामी वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। वर्ष 2018-19 के प्रावधिक लेखे तैयार हैं।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

क्षेत्र के उत्पादों के आयात-निर्यात तथा औद्यौगिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उत्पादों के प्रचार-प्रसार की 'ग्वालियर व्यापार मेला' में प्रचुर संभावनायें हैं। वर्ष 1905 से स्थापित इस मेले ने व्यापार जगत में देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी खास पहचान बनाई है।

विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14011-इक्कीस-अ (प्रा), दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 के द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला के बेहतर प्रबन्धन तथा नियंत्रण के लिये 'ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996' प्रभावशील हुआ। इसके प्रावधान के अनुसार, मेला संचालन व नियंत्रण के लिये, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण निकाय गठित किया गया। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1809/1445/2019/अ-तेहत्तर, दिनांक 13.09.2019 द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन किया गया।

आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्राधिकरण की बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्राधिकरण के निर्णयों और संकल्पों के अध्याधीन, मेला संचालन व उस पर नियंत्रण से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को अध्यक्ष समन्वित करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। सचिव (शासकीय प्रतिनिधि) कार्यालय और अध्यक्ष/प्राधिकरण के बीच की प्रमुख कड़ी है, जो मेला आयोजन से लेकर कार्यालय तक, प्रत्येक स्तर पर प्रशासकीय व आर्थिक नियंत्रण के लिये तथा प्राधिकरण व अध्यक्ष के आदेशों/निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।

104 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में फैले मेला परिसर में 1400 दुकानें, 126 कोठरियां, 44 एम.बी., 37 डी सेक्टर तथा 82 दुकानें एस.टी. सेक्टर में शिल्प बाजार के सामने 100 नवीन दुकानें हैं। इन दुकानों के अलावा खुली भूमि तथा प्रदर्शनी स्थल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मोटे रूप में मेला परिसर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, व्यापारिक संस्थान, लगेज सेक्टर, दंगल सेक्टर, मनोरंजन सेक्टर, प्रदर्शनी तथा पशु मेला आदि क्षेत्रों में विभाजित है।

मेला परिसर में कई उद्यान विकसित हैं। इन उद्यानों को वैवाहिक एवं अन्य सामाजिक/मांगलिक उत्सवों/आयोजनों के लिये 3-4 वर्षों के लिये ठेके पर दिया जाता है।

वर्ष 2019-20 में व्यापार मेले का आयोजन 25.12.2019 से 25.02.2020 तक किया गया है। मेलें में कुल 2590 दुकानों का आवंटन हुआ है। मेले में प्रतिदिन लगभग 50,000 व्यक्ति आयें, रविवार एवं मंगलवार के दिने संख्या 1-1.5 लाख तक रही। मेलें से लगभग 10 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं 5 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ।

वर्ष 2019-20 में मेलें में ऑटोमोबाईल सेक्टर में विक्रय होने वाले वाहनों पर 50 प्रतिशत की छूट राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई। इस छूट के प्रभाव से मेले का कुल व्यापार गत वर्ष की तुलना में लगभग दुगुना हो गया। 2019-20 में 1000 करोड़ रू. से अधिक का व्यापार हुआ।

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दंगल का आयोजन किया गया। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार विभिन्न वजन वर्ग के आधार पर तकनीक का प्रयोग करते हुये कुश्ती के मुकाबले आयोजित हुये। लगभग 500 पहलवानों ने दंगल में भाग लिया।

मेले में किसानों के लिये किसान हाट एवं पशु मेला 25.12.2019 से 30.12.2019 तक संचालित किया गया। किसानो को उत्तम खेती एवं आय बढ़ाने हेतु कृषि विभाग द्वारा सार्थक जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके लिये मेला प्राधिकरण द्वारा पशु पालन विभाग को 3.25 लाख रू. दिये गये।

मेले के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन एवं मुशायरा तथा बॉलीवुड नाईट का भी आयोजन हुआ। म.प्र. संस्कृति विभाग के सहयोग से मेला प्राधिकरण द्वारा 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित हुये।

मेला प्राधिकरण स्वतः एक विशुद्ध व्यापारिक निकाय है। इसके अधीन कोई कार्यालय या संस्था नहीं है।

भाग - दो

बजट विहंगावलोकन

उद्योग संचालनालय

बजट नियंत्रण अधिकारी - उद्योग आयुक्त

मांग संख्या - 35 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
एक - राजस्व अनुभाग					
मतदेय	001 - निदेशन और प्रशासन	1791.175	1521.269	1767.242	1610.938
	101 - औद्योगिक क्षेत्र	0.010	0.000	0.008	0.000
	102 - लघु उद्योग	300.590	76.004	80.040	6.206
	108 - बिजली करघा उद्योग	2740.009	1929.652	1600.392	725.960
	200 - अन्य ग्रामोद्योग	6475.670	5922.321	6662.956	6064.538
	800 - अन्य व्यय	66259.249	61818.721	54306.206	47916.204
	योग	**77566.703**	**71267.967**	**64416.844**	**56323.846**
भारित	प्रावधान	2.020	0.000	0.008	0.000
	प्रथम अनुपूरक अनुमान	26.740	26.737	0.000	0.000
	योग	**28.760**	**26.737**	**0.008**	**0.000**
	महायोग राजस्व	**77595.463**	**71294.704**	**64416.852**	**56323.846**
दो - पूंजी अनुभाग					
मतदेय	101 - औद्योगिक बस्तियां	7610.049	7083.877	30350.030	25547.963
	800 - अन्य व्यय	300.000	9.860	3500.000	0.000
	प्रथम अनुपूरक अनुमान	0.000	0.000	0.500	0.000
	योग	**7910.049**	**7093.737**	**33850.530**	**25547.963**

बजट शीर्ष	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
	बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
महायोग मतदेय (राजस्व + पूंजी)	85476.752	78361.704	98267.374	81871.809
महायोग मतदेय + भारित	85505.512	78388.441	98267.382	81871.809

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

निगम द्वारा अपनी गतिविधियों का संचालन स्वयं के स्त्रोतों से ही किया जाता है। निगम द्वारा प्रति वर्ष नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शासन की ओर से भाग लिया जाकर म.प्र. के मण्डप का निर्माण कार्य एवं संचालन किया जाता है। "भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019" हेतु राज्य शासन से रू. 70.00 लाख बजट आवंटन प्राप्त हुआ था।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

मेला प्राधिकरण में अशासकीय सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात प्राधिकरण पर 9.50 लाख रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आया है। मेला प्राधिकरण को शासन से कोई फण्ड प्राप्त नहीं होता है। प्राधिकरण की आय का मुख्य स्रोत दुकानों से प्राप्त किराया राशि एवं मेला प्राधिकरण की भूमि में स्थित मैरिज गार्डन है।

प्राधिकरण की तीन वर्षो की सकल आय-व्यय एवं लाभ निम्नानुसार है :-

(राशि लाख रू. में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
सकल आय	541.39	598.02	650.34
सकल व्यय	428.49	500.04	522.90
लाभ	69.78	97.98	127.44

भाग - तीन

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

(राशि लाख रू. में)

क्र.	योजना			वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
				बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
एक - राजस्व अनुभाग							
(अ) कार्यालयीन							
1	2851-1464	जिला उद्योग केन्द्र	मतदेय	6475.670	5922.321	6662.956	6064.538
			भारित	2.000	0.000	0.000	0.000
2	2852-3370	मध्यवर्ती कार्यालय	मतदेय	1516.206	1276.210	1473.648	1349.910
			भारित	0.01	0.00	0.008	0.000
3	2852-5815	परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालयों की स्थापना		253.299	223.396	287.858	259.238
4	2852-6751	म.प्र. राज्य वस्त्र निगम के विधिक बंदीकरण की कार्यवाही हेतु सहायता (मतदेय)		21.670	21.663	5.736	1.790
		53- डिक्रीधन का भुगतान (भारित)		26.750	26.737	0.000	0.000
5	2852-7300	स्व. श्री सुशीलचंद्र वर्मा पुरूस्कार योजना		0.010	0.000	0.010	0.000
योग			**मतदेय**	**8266.855**	**7443.590**	**8430.208**	**7675.476**
			भारित	**28.760**	**26.737**	**0.008**	**0.000**
महायोग मतदेय + भारित				**8295.615**	**7470.327**	**8430.216**	**7675.476**

क्र.	योजना			वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
				बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
(ब) राज्य योजनायें 2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग							
1	2851-6750	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास		0.010	0.000	0.008	0.000
2	2851-7064	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु वेन्डर डेवलपमेंट मार्केटिंग सपोर्ट		54.000	24.300	43.648	2.000
3	2851-7891	रानी दुर्गावती सहायता योजना	0102	104.670	16.723	14.560	2.749
			0103	141.920	34.981	21.832	1.457
4	2851-7690	पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय/ब्याज अनुदान		2740.009	1929.650	1600.392	725.960
5	2851-2124	एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/ सुविधा प्रदाय योजना		17158.219	17118.211	13172.016	13076.089
6	2851-2373	इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप योजना		100.000	100.000	2883.696	224.000
7	2851-5101	सीपेट को अधोसंरचना अनुदान		1200.000	900.000	1032.936	1032.936
8	2851-6635	म.प्र. राज्य उद्योग निगम के विधिक बंदीकरण एवं परिसंपत्तियों का रखरखाव		0.010	0.000	0.000	0.000
9	2851-6646	म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी को आर्थिक सहायता		0.010	0.000	0.008	0.00

क्र.	योजना			वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
				बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
10	2851-7215	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	0101	15920.000	14808.922	7634.056	6926.093
			0102	7000.000	6200.000	4317.752	3482.394
			0103	5000.000	5000.000	6395.040	5978.260
11	2851-7589	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	0101	10700.000	10124.890	8984.008	8757.061
			0102	5005.000	4752.250	4164.000	4164.000
			0103	3900.000	2555.000	3163.728	3100.450
12	2851-7571	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	0101	0.000	0.000	1179.400	666.555
			0102	0.000	0.000	444.688	270.000
			0103	0.000	0.000	309.352	150.000
13	2851-7432	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रचार-प्रसार योजना		276.000	259.450	626.016	88.366
			योग	**69299.848**	**63824.377**	**55987.136**	**48648.370**
महायोग राजस्व अनुभाग			**मतदेय**	**77566.703**	**71267.967**	**64417.344**	**56323.846**
			भारित	**28.760**	**26.737**	**0.008**	**0.000**
			कुल	**77595.463**	**71294.704**	**64417.352**	**56323.846**
दो - पूंजी अनुभाग							
4851 - ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय							
1	4851-5380	ऑटोमोबाईल्स टेस्टिंग ट्रेक हेतु भू-अर्जन मुआवजा		0.010	0.000	0.010	0.000
2	4851-6749	भू-अर्जन सर्वे एवं डिमार्केशन (सर्विस चार्ज)		3300.010	3300.000	23000.000	22644.988
3	4851-6750	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास		3960.010	3504.409	7000.000	2663.497
4	4851-7340	नवीन जिला उद्योग केन्द्रों के भवनों का निर्माण		350.000	279.468	350.000	239.478

क्र.	योजना		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
			बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
5	4875-6820	क्लस्टरो की स्थापना	300.000	9.860	3500.000	0.00
6	4875-6481	ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण को अनुदान	0.019	0.000	0.020	0.000
		योग पूंजी अनुभाग	**7910.049**	**7093.737**	**33850.030**	**25547.963**
महायोग (मांग संख्या 35)		**मतदेय**	**85476.752**	**78361.704**	**98267.374**	**81871.809**
		भारित	**28.760**	**26.737**	**0.008**	**0.000**
		कुल	**85505.512**	**78388.441**	**98267.382**	**81871.809**

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

लेदर इंक्यूबेशन सेंटर, देवास

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE) के अन्तर्गत देवास मध्यप्रदेश में लेदर इक्यूंबेशन सेन्टर में स्थापित किया गया है।

लेदर इक्यूंबेशन सेन्टर से 05 वर्ष की अवधि में 30 उद्यमी तथा 2000 स्किल्ड मेन पॉवर के लिए प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। इसके फलस्वरूप क्षेत्र में रोजगारन्मुखी योजना प्रारम्भ होगी एवं स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने का अवसर प्राप्त होगा। सेन्टर में दिनांक 01/02/2017 से स्किल्ड मेन पावर के लिए प्रशिक्षण दिया जाना प्रारंभ हो गया है।

एफ.डी.डी. आई. से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस केन्द्र में 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक 468 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

फूड प्रोसेसिंग इन्क्यूबेशन सेन्टर

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की एस्पायर योजना के अन्तर्गत एक Livelihood Based Incubation Centre स्थापित किए जाने की स्वीकृति भारत सरकार की ओर से प्राप्त हुई है, जिसके अन्तर्गत फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उद्यमिता एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से एक फूड प्रोसेसिंग इक्यूबेशन सेन्टर स्थापित किया जायेगा।

रेडीमेड गारमेन्ट क्लस्टर

भारत में औद्योगिक उदारीकरण की नीति लागू होने के उपरांत भारत शासन एवं मध्य प्रदेश शासन का संयुक्त प्रयास रहा है कि छोटी-छोटी लघु उद्योग इकाइयों को गुणवत्तायुक्त उत्पादों के निर्माण में अधिक विकसित किया जावे, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों का विक्रय एवं निर्यात करने में सक्षम हो सकें। विभिन्न निर्माणकर्ता इकाइयां अलग-अलग स्थलों पर निर्माण कार्य में संलग्न है। वहीं एक वृहद स्तर पर संगठित निर्माण क्षेत्र एवं व्यवसायिक बाजार उपलब्ध हो सके, इसके लिए भारत शासन के डी.आई.पी.पी. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्लस्टर विकसित करने की योजना लागू की गई है। जबलपुर में परिधान निर्माण की इकाइयों को समग्र रूप से विकसित करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना की सुविधा उपलब्ध करने तथा परिधान विक्रय हेतु संगठित वृहद बाजार प्रदान करने की दृष्टि से भारत शासन की डी.आई.पी.पी. नीति के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर विकसित करने हेतु भारत शासन, मध्यप्रदेश शासन एवं निजी गारमेंट निर्माताओं द्वारा क्लस्टर विकास की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। जबलपुर रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर विकास के प्रथम चरण में 200 इकाइयों को सम्मिलित किया गया है। इसमें से 69 इकाईयों द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। योजना अन्तर्गत एस.व्ही.पी. जबलपुर रेडीमेड गारमेंट एण्ड फैशन डिजाइन क्लस्टर एसोसिएशन के नाम से भारतीय कम्पनी अधिनियम की कम्पनी के रूप में पंजीकृत कराई गई है। परियोजना में भारत शासन द्वारा वित्तीय अनुदान प्रदत्त किया गया है तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराई गई है तथा

परियोजना का निरीक्षण एवं नियंत्रण निरंतर किया जा रहा है। परियोजना लगभग पूर्णता की ओर है।

<u>एस.सी./एस.टी. हब</u>

नेशनल एस.सी./एस.टी. हब (NSSH) योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एम.एस.एम.ई.) भोपाल के आदेश क्रमांक 2066/2017/अ-तेहत्तर दिनंक 29-11-2017 से मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। हब की गतिविधियों को प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एम.एस.एम.ई.) मध्यप्रदेश शासन के उपक्रम म.प्र. लघु उद्योग निगम के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत माह मार्च, 2020 तक 60 अवेयरनेस कार्यक्रम, 05 वेण्डर डेवलपमेंट कार्यक्रम तथा 02 एस.सी./एस.टी. हब मीट प्रोग्राम आयोजित किये गये हैं।

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

विभाग स्तर

समयमान/स्थाईकरण

- विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-3/2019/बी-तेहत्तर, दिनांक 11.06.2019 द्वारा 01 अपर संचालक को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।
- विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-65/2018/बी-तेहत्तर, दिनांक 06.07.2019 द्वारा दो अधिकारियों को अपर संचालक के पद पर स्थाई किया गया।

विभागीय जॉच/लोकायुक्त प्रकरण

विवरण	कुल लंबित प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अंतिम निर्णय लिए गए	लंबित प्रकरणों की संख्या
विभागीय जॉच प्रकरण	8	1	7
अपील प्रकरण	5	0	5
लोकायुक्त प्रकरण	6	0	6

सूचना का अधिकार

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग स्तर पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 28 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से समस्त आवेदनों का निराकरण किया गया।

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 02 अपीले प्राप्त हुई, जिनमें से 01 अपील का निराकरण किया गया है।

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

समयमान वेतनमान

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	39/स्था/(1-ब)/2018/288, दिनांक 12.07.2019	16 सहायक वर्ग-3 को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत
2	39/स्था/(1-ब)/2018/289, दिनांक 12.07.2019	14 सहायक प्रबंधकों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
3	39/स्था/(1-ब)/2018/290, दिनांक 12.07.2019	01 मिस्त्री को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
4	39/स्था/(1-ब)/2018/291, दिनांक 12.07.2019	01 सहायक वर्ग-1 को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
5	39/स्था/(1-ब)/2018/292, दिनांक 12.07.2019	01 सहायक वर्ग-2 को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
6	39/स्था/(1-ब)/2018/293, दिनांक 12.07.2019	02 स्टेनोटायपिस्ट को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
7	39/स्था/(1-ब)/2018/294, दिनांक 12.07.2019	08 भृत्यों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
8	39/स्था/(1-ब)/2018/295, दिनांक 12.07.2019	01 सहायक वर्ग-2 को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
9	39/स्था/(1-ब)/2018/296, दिनांक 12.07.2019	03 सहायक वर्ग-3 को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
10	39/स्था/(1-ब)/2018/297, दिनांक 12.07.2019	06 शीघ्रलेखकों को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
11	39/स्था/(1-ब)/2018/298, दिनांक 12.07.2019	03 भृत्यों को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
12	39/स्था/(1-ब)/2018/299, दिनांक 12.07.2019	17 भृत्यों को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
13	39/स्था/(1-ब)/2018/460, दिनांक 02.11.2019	01 भृत्य को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत
14	39/स्था/(1-ब)/2018/461, दिनांक 02.11.2019	02 भृत्यों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
15	39/स्था/(1-ब)/2018/462, दिनांक 02.11.2019	03 सहायक वर्ग-3 को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत

अनुकम्पा नियुक्तियां

- उद्योग संचालनालय म.प्र. के आदेश क्रमांक 219, दिनांक 10.06.2019 से सहायक वर्ग - 3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।
- उद्योग संचालनालय म.प्र. के आदेश क्रमांक 283, दिनांक 10.07.2019 से सहायक वर्ग - 3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।
- उद्योग संचालनालय म.प्र. के आदेश क्रमांक 395, दिनांक 07.09.2019 से सहायक वर्ग - 3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।
- उद्योग संचालनालय म.प्र. के आदेश क्रमांक 261, दिनांक 01.07.2019 से चौकीदार (कार्यभारित/आकस्मिक निधि) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।
- उद्योग संचालनालय म.प्र. के आदेश क्रमांक 513, दिनांक 29.11.2019 से चौकीदार (कार्यभारित/आकस्मिक निधि) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।
- उद्योग संचालनालय म.प्र. के आदेश क्रमांक 515, दिनांक 02.12.2019 से चौकीदार (कार्यभारित/आकस्मिक निधि) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।

विभिन्न संवर्गो में पदों की स्थिति (31.03.2020 की स्थिति में)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद (विभाग + प्रतिनियुक्ति)	कार्यरत पदों की संख्या
प्रथम श्रेणी			
01	उद्योग आयुक्त	01	01
02	संचालक	01	01
03	अपर संचालक, उद्योग	6 = (3 + 3)	02
04	संयुक्त संचालक, उद्योग	16 = (8 + 8)	03
05	संयुक्त संचालक, वित्त	01	01
06	महाप्रबंधक/उप संचालक उद्योग	72 = (58 + 14)	50
	योग	**97**	**58**
द्वितीय श्रेणी			
01	प्रबंधक/सहायक संचालक	227 = (212+15)	154
02	प्रशासकीय अधिकारी	01	00
03	वरिष्ठ निज सहायक	09	02
04	लेखा अधिकारी	01	01
	योग	**238**	**157**
तृतीय श्रेणी			
01	सहायक प्रबंधक	330	218
02	अधीक्षक	08	02
03	सहायक अधीक्षक	03	02
04	सहायक वर्ग-1	60	40
05	सहायक वर्ग-2	159	119
06	सहायक वर्ग-3	268	198
07	कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	02
08	सहायक आंतरिक लेखा अधिकारी	05	01
09	कनिष्क लेखा परीक्षक	05	03

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद (विभाग + प्रतिनियुक्ति)	कार्यरत पदों की संख्या
10	लेखापाल	64	13
11	निज सहायक	26	06
12	शीघ्रलेखक	79	56
13	स्टेनोटायपिस्ट	90	15
14	वाहन चालक	63	19
15	मिस्त्री	01	01
	योग	**1163**	**695**
चतुर्थ श्रेणी			
01	सुपरवाइजर	02	00
02	जमादार	01	00
03	दफ्तरी	01	00
04	भृत्य	228	145
05	चौकीदार	69	32
	योग	**301**	**177**
	महायोग	**1799**	**1087**

स्थानांतरण

वर्ष 2019-20 में स्थानांतरित अणिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी निम्न है :-

क्र.	पदनाम	प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण	स्चयं के व्यय पर स्थानांतरण	कुल
1	अपर/संयुक्त/महाप्रबन्धक (प्रथम श्रेणी)	20	03	23
2	प्रबन्धक/सहायक संचालक (द्वितीय श्रेणी)	11	22	33
3	सहायक प्रबंधक (कार्यपालिक तृतीय श्रेणी)	02	19	21
4	तृतीय श्रेणी	24	09	33

क्र.	पदनाम	प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण	स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण	कुल
5	चतुर्थ श्रेणी	00	06	06
	कुल	**58**	**58**	**116**

<u>पदक्रम सूची</u>

1. विभिन्न संवर्ग के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों की दिनांक 1 अप्रेल, 2018 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची के प्रस्ताव तैयार किये गये है।
2. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की 1 अप्रेल, 2019 की स्थिति दर्शानें वाली पदक्रम सूची में सहायक अधीक्षक, निज सहायक, स्टेनोटायपिस्ट, लेखापाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी मिस्त्री व चौकीदार की पदक्रम सूची जारी हो चुकी है।
3. 1 अप्रेल, 2019 की स्थिति दर्शानें वाली पदक्रम सूची में सहायक प्रबंधक, शीघ्रलेखक, सहायक वर्ग - 1, सहायक वर्ग - 2, सहायक वर्ग - 3, वाहन चालक एवं भृत्य संवर्ग की पदक्रम सूची शीघ्र जारी की जा रही है।

<u>विभागीय जांच</u>

क्रमांक	श्रेणी	प्रकरणो की संख्या	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	04	00	04
2	द्वितीय श्रेणी	02	00	02
3	तृतीय श्रेणी	09	02	07
4	चतुर्थ श्रेणी	01	00	01

पेंशन संबंधी जानकारी

(01 अप्रेल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति)

क्र.	श्रेणी	पूर्व वर्षो के लंबित प्रकरण	वर्ष 2019-20 में प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	शेष लंबित प्रकरणों की संख्या
1	प्रथम	01	03	04	01	03
2	द्वितीय	01	02	03	01	02
3	तृतीय	02	04	06	00	06
4	चतुर्थ	00	00	00	00	00
	योग	**04**	**09**	**13**	**02**	**11**

प्रशिक्षण :-

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से 01.01.2019 से 31.03.2020 तक लगभग 110 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

न्यायालयीन प्रकरण

उद्योग संचालनालय में 31 मार्च, 2020 तक विभिन्न न्यायालयों में कुल 299 न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है, जिनमें से अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित 55 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है।

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 में शामिल विभागीय सेवाओं (एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, प्रवेश कर मुक्ति एवं वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना व उसे सक्षम समिति से निर्णीत कराना) के आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उद्योग संचालनालय द्वारा विभागीय मैन्यूअल जारी किया गया है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की गई है एवं प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में 11 अपीलें प्राप्त हुई, जिनमें समस्त अपीलें निराकृत की गई तथा इसी अवधि में सूचना के अधिकार अंतर्गत 77 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से समस्त आवेदन निराकृत किए गए।

सिटीजन चार्टर

परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यकलापों के संबंध में समय-सीमा निर्धारित करने के संबंध में सिटीजन चार्टर भी लागू किया गया है।

ऑडिट

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति में महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश की 277 कण्डिकाए निराकरण हेतु उद्योग संचालनालय, म.प्र. के अंतर्गत शेष है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प्र. लघु उद्योग निगम कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। निगम का संचालन निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में संचालक मण्डल की मार्च, 2020 तक 02 बैठक आयोजित हो चुकी हैं। कार्यालयीन कार्यों को समय सीमा में निपटाने हेतु निगम में सिटीजन चार्टर लागू किया गया हैं।

शासन के निर्देशानुसार निगम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है। निगम के अधीनस्थ सभी कार्योलयों से लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी एवं मुखयालय पर अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई हैं। मुख्यालय, भोपाल में वर्ष 2019-20 (मार्च, 2020 तक) 69 आवेदन प्राप्त हुये है, जिसमें से 66 का निराकरण किया जा चुका हैं।

आलोच्य अवधि में राज्य विधानसभा द्वारा निगम से सम्बंधित कोई विधेयक पारित नहीं किया गया है। वर्ष 2019-20 में माह मार्च, 2020 तक निगम से संबंधित विधानसभा के 17 प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिनका उत्तर निर्धारित समयावधि में राज्य शासन के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को प्रेषित किया जा चुके है। माह मार्च, 2020 तक निगम के कुल 146 न्यायालयीन प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित/विचाराधीन हैं।

निगम में वर्तमान में कुल 247 नियमित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। निगम में 11 अधिकारी एवं कर्मचारी संविदा/अनुबन्ध पर कार्यरत है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

- वर्ष 2019-20 में मेला प्राधिकरण के संचालक मण्डल की 40वीं बैठक में एजेण्डा विषयों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक प्रस्ताव पारित किये गये।
- मेला संचालन हेतु प्राधिकरण में 02 तृतीय श्रेणी लिपकीय कर्मचारी, 06 बागवान, 01 भृत्य, 04 चौकीदार, 01 सफाई कर्मचारी, कुल 14 स्थाई कर्मचारी एवं 03 स्थाई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, 04 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी व 02 संविदा कर्मचारी कार्यरत है। इन कर्मचारियों पर राशि रूपये 6.15 लाख प्रतिमाह वेतन भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मेला संचालन में एमएसएमई विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की भी ड्यूटी लगाई जाती है। वर्ष 2019-20 में 14 अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी।
- विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पैरवी के लिये अभिभाषकों की सेवायें ली जा रही है।

भाग-पांच

अभिनव योजना

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 :- राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 जारी की गई है, जो 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावशील है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नीति अंतर्गत सहायता/सुविधा प्रदान करने हेतु "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019" लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल रखी गई है। योजना अंतर्गत सहायता स्वीकृत करने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सहायता समिति गठित की गई है। योजना अंतर्गत इकाईयों को उद्योग विकास अनुदान, इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास हेतु सहायता, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों हेतु सहायता, निजी औद्योगिक क्षेत्रों/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर की स्थापना/ विकास हेतु सहायता, ऊर्जा लेखा परीक्षा (ऑडिट) हेतु सहायता, गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति, पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति और पॉवरलूम, फार्मास्युटिकल एवं परिधान क्षेत्र हेतु विशेष पैकेज प्रदान किये जा रहे है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प्र. लघु उद्योग निगम में नवीन ऑनलाईन इण्डेंट तथा सप्लाई आर्डर जारी किये जाने संबंधी व्यवस्था दिनांक 01.10.2015 से लागू की गई है।

अन्य :-

(i) निगम द्वारा वेबसाईट www.mpsme.in प्रारम्भ की गई, जिसमें प्रदेश के मुख्य निर्यातकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

(ii) निगम द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग, मंत्रालय की इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के अंतर्गत जबलपुर में रू. 6075.72 लाख की लागत से रेडीमेड गारमेंन्ट काम्पलेक्स की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर है।

भाग - छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

- वर्ष 2019-20 में उद्योग संचालनालय द्वारा विभाग की एक वर्ष की उपलब्धियों का ब्रोशर एवं विभागीय गतिविधियों का ब्रोशर प्रकाशित किया गया।
- विभागीय महत्वपूर्ण नियम/अधिनियम/निर्देशों की विस्तृत जानकारी संबंधित नियम/अधिनियम/निर्देश की नीचे उल्लेखित लिंक पर उपलब्ध है :-

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006

   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MSMED_Act.pdf

2. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019

   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MP_MSMED_Policy_2019.pdf

3. म. प्र. स्टार्टअप नीति 2019

   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MP%20Startup%20Policy%202019%20Eng.pdf

4. म. प्र. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017

   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/Micro%20and%20Small%20Enterprises%20Council%20Rules%20English.pdf

5. म. प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MP_Land_rules_2015_Order.pdf

6. म. प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MP_Purchase_Rules_2015.pdf

7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की लोक सेवा के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाए

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MSME_Lok_sewa.pdf

8. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की मार्गदर्शिका

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MMYUY_&_MMSY_New_Guidelines.pdf

9. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/New%20PMEGP%20Guidelines.pdf

10. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MP_MSMEP_Scheme_2019.pdf

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

निगम द्वारा सामान्यतः किसी पुस्तक का प्रकाशन नहीं किया जाता है, तथापि निगम द्वारा अपनी गतिविधियों, उत्पादों के "ब्रोशर" एवं कैटलॉग मुद्रित कराये जाते है।

भाग - सात

सारांश

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

उद्योग संचालनालय, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने तथा स्थापित एमएसएमई को विभिन्न अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योगों को सुदृढ़ करने का व उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।

विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न स्वरोजगार योजना जैसे- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाते हैं। प्रदेश के सर्वांगीण व समुचित औद्योगिक विकास हेतु मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2019, मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2019 एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम क्रियान्वित किये जा रहे है।

विभाग द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए वित्तीय व्यवस्था को आसान व सुलभ बनाया जाना, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधन एवं स्थानीय कौशल के दोहन पर विशेष बल दिया जाना, प्रदेश के भीतर और दूसरे प्रदेशों के साथ बाजारों की नेटवर्किंग की जाना, उद्योग एवं औद्योगिक विकास के उन्नयन की व्यवस्था तथा गैर कृषि ग्रामीण उद्यमिता को सम-उन्नत, संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाये जाने का भी कार्य किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प्र. लघु उद्योग निगम, लघु उद्योगों के हितों के संरक्षण एवं विकास में निरन्तर संलग्न है। निगम लघु उद्योगों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराकर तथा उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति प्रदेश के एम.एस.एम.ई. द्वारा उत्पादित सामग्रियों की गुणवत्ता में टेस्टिंग लैब के माध्यम से सुधार का सुझाव देकर उनके उत्थान में

सतत् प्रयत्नशील है। निगम द्वारा प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित अपने एम्पोरियमों के माध्यम से बुनकरों तथा हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रदर्शन एवं विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। निगम द्वारा चंदेरी, माहेश्वरी, कोसा इत्यादि साड़ियां बड़ी मात्रा में सीधे बुनकरों से क्रय कर उन्हें कम से कम अवधि में भुगतान कर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। निगम का तकनीकी विभाग लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों के परीक्षण व इनकी गुणवत्ता नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। म.प्र. लघु उद्योग निगम निरन्तर अपनी 'उत्पादकता' बढ़ाने में प्रयासरत है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

प्राधिकरण का यह मेला, राष्ट्रीय स्तर का मेला है, जो देश के अन्य प्रदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय है। मेला आयोजन के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के, अति-आकर्षक एवं सराहनीय होते हैं।

भाग - आठ

महिलाओं के लिये किये गये कार्य

स्वरोजगार योजनाए :-

उद्योग संचालनालय अंतर्गत महिलाओ के आर्थिक उन्नयन एवं रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से संचालित विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओ के तहत महिलाओं को भी लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत महिलाओं हेतु 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का प्रावधान है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत महिलाओं हेतु 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान और सामान्य आवेदक की तुलना में दोगुनी मार्जिन मनी सहायता का प्रावधान है।

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2019-20 में लाभांवित महिलाओं की संख्या
1	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	270
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	4370
3	मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना	70
	योग	**4710**

स्टार्टअप को सहायता :-

म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2019 अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा प्रारंभ किये जाने वाले स्टार्टअप को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान एवं लीज किराया अनुदान की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 3 लाख रू. के बजाय 3.5 लाख रूपये प्रावधानित की गई है। साथ ही राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित आयोजनों में भागीदारी हेतु एक अतिरिक्त सदस्य और शुल्क व आवास के लिये प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 1 लाख रू. के बजाय 1.5 लाख रूपये प्रावधानित की गई है।

एमएसएमई को सहायता :-

म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2019 अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा प्रारंभ किये जाने वाली पात्र विनिर्माण एमएसएमई को अधिकतम 8 प्रतिशत अतिरिक्त विकास अनुदान का प्रावधान है।

महिला प्रकोष्ठ का गठन :-

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी अधिकाधिक हो इस हेतु जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

MSME

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

अग्रगामी अभियान/2020
मुद्रक: अग्रवाल ऑफसेट, भोपाल